रजिस्ट्री सं० डी

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 1972/श्रावण 3, 1894

No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 1972/SRAVANA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th July 1972

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the North-Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 1972 as the date on which the provisions of that Act shall come into force.

[No. F. 11/11/72-SR.]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 359(अ).—पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1972 के अगस्त के पहले दिन को, ऐसी तारीख के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रदत्त होंगे ।

[सं० फा० 11/11/72—एस० आर०]

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred on him by sub-section (3) of section 3 of the North-Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), the President hereby nominates the Governor of the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura, a member of the North-Eastern Council under clause (a) of sub-section (1) of the said section 3, to be the Chairman of the said Council.

[No. F. 11/11/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

सा० का० नि० 360 (अ).—पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी, उक्त धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन पूर्वोत्तर परिषद् के सदस्य, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के राज्यपाल को एतद्द्वारा उक्त परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

[सं० फा० 11/11/72—एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972